एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग चेक: स्वयं-प्रबंधित एन डी आई एस प्रतिभागियों को क्या पता होना चाहिए

NDIS वर्कर स्क्रीनिंग चेक (वर्कर स्क्रीनिंग चेक) नॉर्दर्न टेरिटरी को छोड़कर सभी राज्यों और क्षेत्रों में 1 फरवरी 2021 को शुरू होगा। वर्कर स्क्रीनिंग चेक 1 जुलाई 2021 के बाद नॉर्दर्न टेरिटरी में शुरू होगा। यह फैक्ट शीट बताती है कि वर्कर स्क्रीनिंग क्या है, और वर्कर स्क्रीनिंग चेक आपके लिए कैसे उपयोगी होगा। आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ शर्तों को समझने में आपकी मदद करने के लिए, हमारी वेबसाइट पर एक सूची है। list on our website

कार्यकर्ता स्क्रीनिंग क्या है?

वर्कर स्क्रीनिंग एन डी आई एस कार्यकर्ताओं की जांच का एक तरीका यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए है कि वे विकलांग लोगों को, जिनके साथ वे काम करते हैं, नुकसान का कोई गंभीर खतरा तो पैदा नहीं करते हैं।

वर्कर स्क्रीनिंग चेक क्या है?

1 फरवरी 2021 से वर्कर स्क्रीनिंग चेक का उपयोग किसी भी एन डी आई एस कार्यकर्ता के लिए किया जाएगा जो कुछ गंभीर खतरों वाली भूमिकाओं (कुछ भूमिकाओं) में काम करने के लिए नियुक्त है।
इसका मतलब यह है कि समय के साथ, सभी राज्यों और क्षेत्रों में एन डी आई एस कार्यकर्ताओं की एक ही तरह से जांच की जाएगी।
वर्कर स्क्रीनिंग चेक यह निर्धारित करेगा कि किसी व्यक्ति को विकलांगता से पीड़ित लोगों के साथ, कुछ भूमिकाओं में काम करने से हटा दिया गया है या नहीं।
वर्कर स्क्रीनिंग चेक राज्य या क्षेत्र में कार्यकर्ता स्क्रीनिंग यूनिट (डब्ल्यू एस यू) द्वारा आयोजित किया जाएगा जहां कोई व्यक्ति आवेदन करता है। डब्लू एस यू इस बारे में भी निर्णय लेता है कि किसी व्यक्ति को हटा दिया गया है या नहीं।
पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे केवल उन कार्यकर्ताओं को संलग्न करें जिन्हें कुछ भूमिकाओं में मंजूरी दी गई है।
वर्कर स्क्रीनिंग एक ऐसी आवश्यक श्रेणी है जो पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाताओं को विकलांग लोगों को हो सकने वाले नुकसान के खतरों को कम करने के लिए पूरी करनी पड़ती है।

वर्कर स्क्रीनिंग जाँच की आवश्यकता किसे है?

1 फरवरी 2021 से, वर्कर स्क्रीनिंग चेक NDIS कार्यकर्ताओं के लिए सभी राज्य और क्षेत्रीय स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं को बदल देगा। इसका मतलब यह है कि अंततः ऑस्ट्रेलिया में एन डी आई एस प्रदाताओं द्वारा कुछ निश्चित भूमिकाओं certain roles में पंजीकृत सभी एन डी आई एस कार्यकर्ताओं को एक ही मानदंड का उपयोग करके काम पर रखा जाएगा।
इनमें मुख्य भूमिकाएँ हैं:

- यदि उनका विकलांग लोगों के साथ सीधा संपर्क है
- यदि संगठन निर्णय लें
- एन डी आई एस सहायता या सेवाओं को कुछ प्रकार प्रदान करते हैं। यह सभी NDIS सहायता और सेवाओं NDIS supports and services पर लागू नहीं होता है। आप एन डी आई एस समर्थन और सेवाओं की एक सूची पा सकते हैं जहाँ पर कार्यकर्ताओं को एन डी आई एस गुणवत्ता और सुरक्षा आयोग (एन डी आई एस आयोग) की वेबसाइट पर दिखाया जाना चाहिए।

पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कुछ भूमिकाओं में कार्यकर्ताओं के पास एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस है।

डब्लू एस यू क्या करेगा?

डब्लू एस यू उन लोगों के आपराधिक और काम के इतिहास को देखेगा। जब कार्यकर्त्ता स्क्रीनिंग चेक के लिए आवेदन करते हैं, यह देखने के लिए कि क्या उन्होंने कुछ अपराध किए हैं या अन्य ऐसे काम किए हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें एन डी आई एस प्रतिभागियों के साथ काम नहीं करना चाहिए। डब्लू एस यू वर्कर स्क्रीनिंग चेक एप्लिकेशन के बारे में निर्णय करेगा।

अगर डब्ल्यू एस यू यह तय करता है कि कोई व्यक्ति एन डी आई एस प्रतिभागियों के साथ काम कर सकता है, तो उस व्यक्ति के पास एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस होगा। यदि डब्ल्यू एस यू यह तय करता है कि किसी व्यक्ति को कुछ भूमिकाओं में एन डी आई एस प्रतिभागियों के साथ काम नहीं करना चाहिए, तो उन्हें एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग से निकाल दिया जाएगा।

NDIS वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस कब तक मान्य है?

एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस वाले कार्यकर्ता,पुलिस और अन्य प्रासंगिक जानकारी के खिलाफ चल रही निगरानी के अधीन हैं।

इसका मतलब है कि अगर एक डब्ल्यू एस यू या एन डी आई एस क्वालिटी एंड सेफगार्ड्स कमीशन (एन डी आई एस कमीशन) को नई या अपडेट की गई जानकारी मिलती है, जो यह बताती है कि वे विकलांग लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो उन्हें अपने मौजूदा NDIS वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस की समय सीमा समाप्त होने से पहले NDIS वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस होने से बाहर रखा जा सकता है।

एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस हर पांच (5) साल में समाप्त हो जाती है।

एन डी आई एस कार्यकर्ताओं को वर्कर स्क्रीनिंग चेक के लिए आवेदन करने की आवश्यकता कब होती है?

यदि कार्यकर्ताओं के पास पहले से ही एक स्वीकृत , वैध राज्य या क्षेत्र की चेक acceptable state or territory check 1 फरवरी 2021 से पहले ((या नॉर्दर्न टेरिटरी में 1 जुलाई 2021 से बाद में नहीं) है, तो वे इसका उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक कि इसकी तारीख समाप्त नहीं हो जाती है या राज्य या क्षेत्र सरकार जितनी अवधि के लिए अनुमति देती है।

इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए, कुछ भूमिकाओं में पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाताओं द्वारा नियोजित कार्यकर्ता या तो एक स्वीकार्य चेक या एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस रख सकेंगे।

जब स्वीकार्य जाँच समाप्त हो जाती है, या जब समय की अवधि समाप्त हो जाती है, तो वह स्वीकार्य जाँच वैध नहीं होगी। उस समय के बाद, यदि वे कार्यकर्ता पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाता के साथ कुछ भूमिकाओं में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस प्राप्त करना होगा।

आखिरकार, जब सभी स्वीकार्य चेक अब मान्य नहीं हैं, तो कुछ भूमिकाओं में पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाताओं द्वारा नियोजित सभी कार्यकर्ताओं के पास एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस होना चाहिए।

1 फरवरी 2021 से (या 1 जुलाई 2021 से या जिस दिन WSU नॉर्दर्न टेरिटरी में तैयार है, पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाताओं के साथ कुछ भूमिकाओं में नए कार्यकर्ताओं को यदि उनके पास पहले से एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस नहीं है तो उसके लिए आवेदन करना होगा, या एक मान्य स्वीकार्य जाँच रखतें हों!

क्या गैर-पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाताओं के एन डी आई एस कार्यकर्ताओं को वर्कर स्क्रीनिंग चेक की आवश्यकता है?

यदि आप अपनी एन डी आई एस योजना के कुछ या सभी अपंजीकृत प्रदाताओं का उपयोग करते हैं, तो आप निम्न का चयन कर सकते हैं:

- अपने कार्यकर्ता को यह बताने के लिए कहें कि क्या उनके पास एक वैध स्वीकार्य राज्य या क्षेत्र acceptable state or territory check की जाँच या NDIS वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस है
- अपने कार्यकर्ता से NDIS वर्कर स्क्रीनिंग चेक क्लीयरेंस प्राप्त करने का अनुरोध करें

- अपंजीकृत प्रदाताओं का उपयोग न करें यदि उनके पास वैध स्वीकार्य चेक या NDIS वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस नहीं है।

इसमें एक ऑस्ट्रेलियाई बिजनेस नंबर (ए बी एन) (एकमात्र व्यापारी) के कार्यकर्ता शामिल हैं।
आप अपने अपंजीकृत प्रदाता को यह भी बता सकते हैं कि आप केवल एक स्वीकार्य राज्य या क्षेत्र की जाँच या NDIS वर्कर स्क्रीनिंग चेक क्लीयरेंस के साथ एक कार्यकर्ता द्वारा प्रदान की गई NDIS सहायता और सेवाएँ चाहते हैं।

याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

- यदि आपको कुछ पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाता से एन डी आई एस सहायता या सेवाएँ प्राप्त होती है certain NDIS supports or services, तो उनके कर्मचारियों के पास एक स्वीकार्य चेक या एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस होना चाहिए। यह कानून है। इसमें व्यवहार सहायता सेवाएँ और विशेषज्ञ विकलांगता आवास शामिल हैं।
- यदि आपका एन डी आई एस कार्यकर्ता एक पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाता द्वारा एक निश्चित भूमिका certain role में नियोजित है, तो उनके पास स्वीकार्य चेक या एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग क्लीयरेंस होना चाहिए।
- यदि आपके एन डी आई एस कार्यकर्ता के पास पहले से ही वैध स्वीकार्य राज्य या क्षेत्र की जाँच acceptable state or territory check है, तो उन्हें 1 फरवरी 2021 (या नॉर्दर्न टेरिटरी में 1 जुलाई 2021 से) से सीधे वर्कर स्क्रीनिंग चेक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि आप अपनी स्वयं की योजना का प्रबंधन करते हैं, तो अपंजीकृत एन डी आई एस प्रदाताओं और उनके कार्यकर्ताओं को स्वीकार्य चेक या वर्कर स्क्रीनिंग चेक की आवश्यकता नहीं है जब तक कि आप उन्हें यह प्राप्त नहीं करवाना चाहते हैं।